© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 09 Issue: 01 | January - March 2018
Paper is available at www.jrps.in | Email : info@jrps.in

"अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य की उत्पत्ति का अनुबंध सिद्धान्त"

डॉ.विद्वेश कुमार

प्रवक्ता नागरिकशास्त्र, जनता इंटर कॉलेज, फलावदा,मेरठ

राज्य की उत्पत्ति विषय अनुबंध सिद्धान्त विभिन्न प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में रेखांकित किया गया है। अनुबंध सिद्धान्त का प्रतिपादन जिन ग्रन्थों में किया गया है, उनमें प्रमुख है : ब्राह्मण, दीघ निकाय, कौटिल्य विरचित 'अर्थशास्त्र', महावस्तु और शांतिपर्व का राजधर्म प्रकरण।[1] प्रस्तुत लेख में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के अनुबंध सिद्धान्त को रेखांकित किया गया है। यह लेखा द्वितीयक स्रोतों पर अवलंबित है।

अर्थशास्त्र में अनुबंध सिद्धान्त राजशक्ति के स्वरूप के बारे में गुप्तचरों के बीच हो रही चर्चा के दौरान आनुवांगिक रूप से निरूपित किया गया है।[2]

राज्य के सप्तांगों के सैद्धान्तिक विवेचन की तरह इसे सुविचारित और पूर्वीचतित सिद्धान्त निरूपण की कोटि में नहीं रखा जा सकता। फिर भी इसमें अनुबंध की शर्तों में कुछ ऐसे नए तत्वों का समावेश कराया गया है जो पूर्ववर्ती बोध ग्रन्थ 'दीघ निकाय' में नहीं है। इसमें कहा गया है कि अराजक परिस्थिति में पड़कर लोगों ने मनु वैवस्वत को अपना राजा निर्वाचित किया और वचन दिया कि वे अपने सोने का एक अंश देने के अलावा अनाज का छठा अंश और बिकाऊ वस्तुओं का दसवां अंश चुकाएंगे। इन करों के बदले उसने लोगों को वचन दिया कि वह अनिष्टकारी कार्यों का निरोध करेगा, तथा अपराधियों को करों और दंड से प्रताड़ित करेगा और इस प्रकार समाज

का कल्याण साधेगा। वनवासियों के लिए भी वन के उत्पादनों का छठा भाग देना आवश्यक बनाया गया। राज्योत्पत्ति विषयक यह वृत्तांत इस नीति वचन के साथ समाप्त होता है कि राजा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।[3] अनुबंध सिद्धान्त का इसी प्रकार का वर्णन शान्ति पर्व के 67वें अध्याय में भी वर्णित है। इसमें कहा गया है कि प्राचीन काल में जब अराजकता व्याप्त थी तब लोगों ने आपस में करार किया। करार के अनुसार उन्होंने उन लोगों के बहिष्कार करने का निर्णय लिया जो वाचाल थे क्रूर थे परधनहर्ता थे और परस्त्री गामी थे लेकिन लोगों ने अनुबंध का पालन नहीं किया जिससे उनकी स्थिति कष्टमय हो गयी। अतः उन्होंने ब्राह्मा से जाकर एक ऐसा अधिपति (ईश्वर) मांगा जिसकी पूजा के साथ मिलकर करेंगे और जो उनकी रक्षा करेगा। ब्राह्मा ने मनु से इनका शासन संभालने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि दुष्ट और झूठे लोगों पर शासन करना दुष्कर कार्य था। परंतु लोगों ने मनु को यह प्रतिज्ञा करके तैयार किया कि वे उसके कोष की वृद्धि (कोषवर्धन) के लिए अपना 1/50 पशु, 1/50 सोना और 1/10 अन्न देंगे। उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की कि जो लोग शस्त्रास्त्र प्रयोग में सबसे आगे होंगे, वे उसी तरह मनु का अनुसरण करेंगे जिस तरह देवगण इन्द्र का करते हैं। इसके बदले उन लोगों ने राजा से अपनी रक्षा की मांग की, और यह वचन भी दिया कि राजरक्षित प्रजा जो पुण्य अर्जित करेगी, उसका चौथा भाग राजा को मिलेगा। मनु ने सहमत होकर एक बड़ी सेना के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में वर्णित अनुबंध सिद्धान्त के सूत्र शान्ति पर्व के अध्याय 67 में भी मिलते है।

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 09 Issue: 01 | January - March 2018
Paper is available at www.jrps.in | Email : info@jrps.in

प्रो0 रामशरण शर्मा का मानना है कि कौटिल्य की सिद्धांत–परिकल्पना विकसित अर्थव्यवस्था के अनुरूप है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अनाज पैदा किए जाते थे और राजा व केवल धान के एक अनिश्चित अंश का, बल्कि सभी प्रकार के अन्न के नियत अंश का दावेदार था। इसी प्रकार, व्यापार राज्य की आय का नियमित साधन बन चुका था, क्योंकि मैगास्थनीज और कौटिल्य दोनों इस काल में व्यापार और विनियमन करने वाले अधिकारियों का उल्लेख करते हैं। इनके अलावा, मौर्य काल में खान उत्पादन उन्नतिशील उद्योग था। संभवतः इसी कारण से हिरण्य का एक अंश चुकाने की व्यवस्था है। हिरण्य में केवल सोना ही नहीं, बल्कि सोना और अन्य ऐसी ही कीमती धातुएँ भी आती हैं। और अंत में, यह बात कि वनवासियों को भी कर अदायगी से छूट नहीं मिली है, मौर्य राज्य के सर्वव्यापी स्वरूप का भान कराती है। अतः समग्र रूप में देखे तो प्रथम तीन कर, अर्थात् अनाजों, सामग्री और धातुओं पर लगने वाले कर, मौर्य काल की विकसित अर्थव्यवस्था के द्योतक हैं। और मिथक चरित्र मनु और जनसामान्य के बीच हुए अनुबंध की शर्तों में जिन चार करों का उल्लेख है उनसे, एक हद तक, मौर्य राज्य की कराधान पद्धति और अपनी अधिकतर परिधि को उत्तरोत्तर बढ़ाते जाने वाले स्वरूप का परिचय मिलता है।[4]

'अर्थशास्त्र' में राजत्व की जो अनुबंधात्मक उत्पत्ति बताई गई है, उसका प्रयोजन राजशक्ति पर अंकुश लगाना नहीं है। इसके विपरीत, लोगों पर जो दायित्व डाले गए हैं, वे भारी हैं और उनका उद्देश्य राजा की सत्ता को सबल बनाने का है। यह बात राजत्व की उत्पत्ति विषयक अनुबंध सिद्धान्त का निरूपण करने वाले अवतरण के अंत में स्पष्ट रूप में रखी गई है। इसमें कहा गया है कि राजा, जो बल प्रयोग और करों

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 09 Issue: 01 | January - March 2018
Paper is available at www.jrps.in | Email : info@jrps.in

द्वारा अनिष्टकारी कार्यों का निरोध करके अपनी प्रजा को सुरक्षा और कल्याण की स्थिति प्रदान करता है, कभी भी उपेक्षणीय नहीं है। अतः हॉब्स की तरह कौटिल्य के भी अनुबंध सिद्धान्त का प्रयोजन राजशक्ति का संवर्धन है। इसमें उनका सिद्धान्त लॉक के सिद्धांत से, जिसका प्रयोजन राजशक्ति को सीमित करना है, भिन्न है।

संदर्भ सूची

1 शर्मा रामशरण, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाऐं, पृ0 78, 2005, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली

2 अर्थशास्त्र, I. 13

3 शर्मा रामशरण, पूर्वोक्त, पृ0 83

4 वहीं, पृ0 83